BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXVI | 13th May, 2015 | No. 9

नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की सेवार्थ चैम्बर द्वारा प्रदत्त राहत सामग्रियों को माननीय मुख्यमंत्री ने किया रवाना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 30 अप्रील 2015 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पर नेपाल के भूकम्प पीड़ितों की सेवार्थ राहत सामग्रियाँ जिसमें 500 कम्बल, 500 चादर, 36000 पैकेट बिस्कुट, 44000 पैकेट नुडल्स, 9600 बोतल (एक लीटर) पानी की व्यवस्था की जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना से रवाना किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर प्राकृतिक विपदा की घड़ी में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी सेवार्थ सदैव तत्पर रहता है। इसी कड़ी में आज नेपाल के भूकम्प पीड़तों की सेवार्थ उपर्युक्त राहत सामग्रियाँ भेजी गयी।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, पूर्व महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री नन्द किशोर अग्रवाल, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन उपस्थित थे।

राहत सामग्रियों का निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।
उनकी दाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय तथा बाँयी ओर पटना के जिलाधिकारी श्री अभय कुमार सिंह एवं चैम्बर कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं अन्य।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, नव गठित कनफेडेरेशन ऑफ इस्टर्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष निर्वाचित

पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं, व्यावसायिक एकरूपता, व्यावसायिक एकता एवं आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने हेतु पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक दिनांक 5 मई 2015 को बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के आह्वान पर कोलकाता में हुई जिसमें पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के वाणिज्य एवं औद्योगिक संगठनों को मिलाकर एक कनफेडेरेशन ऑफ इस्टर्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के गठन करने का निर्णय लिया गया।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष ने भाग लिया। बैठक में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ० आलोक राय, फेडेरेशन ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड कॉमर्स ऑफ नॉर्थ इस्टर्न रिजन के अध्यक्ष श्री आर० एस० जोशी, चितगाँव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री, बांगलादेश के अध्यक्ष श्री मैहबुबुल आलम आदि प्रमुख थे ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री साह ने सूचित किया कि नवगठित कनफेडेरेशन ऑफ इस्टर्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उड़ीसा, फेडेरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री आदि सम्मिलित हैं ।

उन्होंने सूचित किया कि नवगठित कनफेडेरेशन का प्रधान कार्यालय तीन वर्षों के लिए बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता में रहेगा। इस नवगठित कनफेडेरेशन के प्रथम चेयरमैन बंगाल चैम्बर के डॉ० आलोक राय निर्वाचित हुए हैं एवं वाइस चेयरमैन बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह निर्वाचित हुए हैं।

श्री साह ने बताया कि उपरोक्त कनफेडेरेशन के गठन से पूर्वी एवं पूर्वोतर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के समक्ष एक सामूहिक विजन डक्यूमेंट प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
आदेश

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 की परिशिष्ट -1 परिभाषाएँ के कंडिका - 2 (111) में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क / निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेंटर की स्थापना एवं विकास अंकित है, परन्तु टेक्सटाईल पार्क का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अन्तर्गत प्रावधानों की व्याख्या एवं समाधान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2015 को आयोजित बैठक में रखा गया कि टेक्सटाईल पार्क औद्योगिक प्रोत्साहन नीति- 2011 से आच्छादित है अथवा नहीं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई कि टेक्सटाईल्स पार्क को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के तहत स्टाम्प ड्यूटी/ निबंधन शुल्क एवं भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट दिया जाय।

अत: समाधान समिति की अनुशंसा के आलोक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र एवं फुड पार्क के तर्ज पर टेक्सटाईल पार्क को भी स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क एवं भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय उद्योग मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
ज्ञापांक: 687 / पटना, दिनांक :- 21.4.2015
प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर देने हेतु सूचनार्थ।

उद्योग लगाने के प्रस्ताव को नहीं दबा पायेंगे कर्मी

राज्य में उद्योग लगाने के प्रस्ताव को विभागों के बाबू नहीं दबा पाएंगे। उद्योग विभाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है, जिसमें विभागों के आलाधिकारियों को भी इसकी जानकारी होगी। नए उद्योग लगाने के प्रस्ताव को मंजूर करने की समय सीमा भी तय होगी। तय समय सीमा में अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो उसे डीम्ड एप्रुवल (स्वत: मंजूर) माना जाएगा। उद्यमियों को यह अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करने के लिए उद्योग विभाग ब्रिटेन की संस्था डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफ आईडी) से तकनीकी सहयोग ले रहा है। विभाग के अधिकारियों की एक टीम डीएफआईडी के सहयोग से रिपोर्ट तैयार करेगी। तैयार रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था लागू हो जाए।

मौजूदा परेशानियां : • प्रस्ताव मंजूरी की समय सीमा तय नहीं • सैद्धान्तिक रूप से एसआईपीबी से सिंगल विंडो मंजूरी व्यावहारिक नहीं • संबंधित विभागों से अलग-अलग मंजूरी लेने में लंबा समय • बाबुओं के पास लंबे समय तक फाइल लंबित • कागजी और विभागीय प्रक्रिया लंबी।

प्रस्ताव पर हो रहा काम : नए उद्योग लगाने के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोमोंशन बोर्ड (एसआईपीबी) को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। उद्योग लगाने से संबंधित 18 विभागों में जिस विभाग से उसकी मंजूरी लेने की बाध्यता होगी, ऑनलाइन ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। इसकी जानकारी आलाधिकारियों को भी मिल जाएगी।

(साभार: हिन्दुस्तान, 5.5.2015)

गंगा प्रदूषित करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने गंगा नदी में कचरे और प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गंगा नदी के किनारे बसे तकरीबन 118 शहरों से रोजाना गिरने वाले औद्योगिक कचरे पर काबू पाने के लिए केंद्र आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त यंत्र लगाएगा। इससे 15 मिनट से ज्यादा प्रदूषित जल प्रवाहित करने वाले उद्योगों की पहचान हो जाएगी जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके।

इन शहरों से बहता कचरा

शहर	प्रदूषित जल की मात्रा
कोलकाता	53.4
कानपुर	42.6
वाराणसी	29.5
पटना	25.2
इलाहाबाद	23.2
मुरादाबाद	11.7

स्रोत: जल संसाधन एवं नदीविकास मंत्रालय
(आंकड़े : करोड़ लीटर में।)

विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, गंगा नदी के किनारे बसे इन 118 शहरों से रोज 363.6 करोड़ लीटर अपशिष्ट और 764 उद्योगों के हानिकारक तत्व इस नदी में प्रवाहित हो रहा है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के एक अफसर ने कहा, इन कारखानों से निकलने वाले प्रवाह को हम 24 घंटे चलने वाले प्रदूषण निगरानी उपकरण से जोड़ेंगे।

(साभार: हिन्दुस्तान, 4.5.2015)

आंध्रा की तर्ज पर मिले विशेष मदद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री जेटली को उनके बजट भाषण की याद दिलाई जिससें आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बिहार को विशेष सहायता दिए जाने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा व केंद्रीय बजट 2015-16 की वजह से बिहार के संसाधनों में संभावित कमी की भरपाई के लिए केंद्र तत्काल व्यवस्था कराए। इस संबंध में उन्होंने श्री जेटली को एक पत्र भी सौंपा। बीआरजीएफ की राशि जारी रखने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग ने जो फार्मूला दिया है, उसके आधार पर बिहार का हिस्सा 10.9 से घटकर 9.65 फीसदी ही गया है। बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व व स्थलरुद्ध राज्य की विशिष्ट समस्याओं की अनदेखी की गई है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 8.5.2015)

टैक्स देने में कई समस्याएं, फीडबैक के लिए चक्कर

वाणिज्य कर विभाग की कार्यप्रणाली से व्यवसायी परेशान

बिहार में टैक्स देने में व्यापारियों के समक्ष कई समस्याएं पेश आ रही हैं। महज एक आवेदन का फीडबैक लेने के लिए उन्हें दर्जनों बार विभाग का चक्कर काटना पड़ता है। फॉर्म डी-8 की वैलिडिटी ही अंकित नहीं है। व्यापारियों को अपना माल गोदाम से ट्रांसपोर्टर तक ले जाने के लिए जो प्रोटोकॉल अपनाना है, उसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। www.ctdbihar.gov.in पर चेक पोस्ट बदलने की सुविधा नहीं है। माल के स्टार्टिंग प्वाइंट से लेकर डिलीवरी प्वाइंट के बीच अगर थोड़ा माल उतारना हो तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, 2011 के तहत 7 दिनों के अंदर प्रपत्र 'सी' उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही वाणिज्य कर विभाग ने भी इस आलोक में मई, 2014 में सभी अंचल प्रभारी को यह निर्देश जारी किया था। किंतु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। सी फॉर्म के ऑटोमेटेड प्रोसेस से उपलब्धता नहीं होना परेशानी का सबब बन चुका है। इस संबंध में विभाग ने सितंबर 2012 में ही अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अबतक ऑटोमेटेड प्रोसेस से 'सी' फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब भास्कर ने इस संबंध में वाणिज्य कर अधिकारियों से बात की तो शुरुआती चुप्पी के बाद सहायक आयुक्त रैंक के अधिकारी ने कहा कि विभाग शीघ्र ही ऑफलाइन सी फॉर्म देने का प्रयास कर रहा है। हालांकि फॉर्म के ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि यह फिलवक्त संभव नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कैंसिलेशन के प्रोसेस में घपले हो सकते हैं क्योंकि अलग-अलग राज्यों के वाणिज्य कर विभाग में आंतरिक कम्युनिकेशन का कोई प्रोटोकॉल अब तक डेवलप नहीं हुआ है।

नियम पालन नहीं हो रहा : चैम्बर की वैट सब-कमेटी के चेयरमैन डी. बी. गुप्ता बताते हैं कि राज्यस्तरीय वैट सलाहकार समिति में पूर्व के आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि वैसे व्यवसायी, जिनका लेखा के अंकेक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में चयन हुआ है एवं जिनके बही-खाते में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में लेखा के अंकेक्षण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु चयन की प्रक्रिया में अभी तक विभाग द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यह तथ्य भी सामने आया है कि जिन व्यवसायियों का ऑडिट काफी समय पहले ही संपन्न हो चुका है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट व्यवसायी को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

होटल उद्योग में निराशा : चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल कहते हैं कि प्रदेश में होटल उद्योग में निराशा है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंर्गत होटल उद्योग को लग्जरी टैक्स से 7 वर्षों के लिए 100 फीसदी की छूट का प्रावधान

है जिसकी अनुकूल अधिसूचना अबतक जारी नहीं की गई है। बिहार सीआईआई के चेयरमैन शैलेन्द्र प्रसाद सिन्हा बताते हैं टैक्स लेना सरकार का अधिकार है परंतु इसका फ्रेमवर्क ऐसा हो कि होटल इंडस्ट्री और पर्यटन फल-फूल सके।

"हमने कई मुद्दों पर कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है। विभाग का कलेक्शन तभी बढ़ेगा जब ईमानदारी से टैक्स जमा करनेवालों के लिए सुगम रास्ते बनेंगे।" – **ओ० पी० साह,** अध्यक्ष, बीसीसीआई, पटना

"व्यवसायियों की समस्या दूर करने के लिए विभाग संवेदनशील है। हम चाहते है कि अधिकारी और व्यापारी एक-दूसरे को सहयोग करें। सॉफ्टवेयर की कमियां दूर करने के लिए टीसीएस के अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा।"
– **रवि मित्तल,** वाणिज्य कर आयुक्त सह प्रधान सचिव

(साभार: दैनिक भास्कर, 4.5.2015)

ईंट भट्ठों की जांच करेगा वाणिज्य-कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग का मानना है कि ईंट भट्ठों से जितना टैक्स मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। इसी आधार पर विभाग ने सभी अंचल प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी ईंट भट्ठों की जांच करें।

विभाग के पटना प्रमंडल के अधिकारियों ने बताया कि सभी ईंट भट्ठों को नोटिस भेजी जा रही है। इसमें दिए गए समय के अनुसार अगर ईंट भट्ठा व्यापारी वाणिज्य कर कार्यालय में पूरा बही-खाता प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनपर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। **(साभार: हिन्दुस्तान, 4.5.2015)**

राज्य के बिल्डरों पर वाणिज्य कर विभाग कसेगा शिकंजा

वाणिज्य कर विभाग राज्य के बिल्डरों पर फिर शिकंजा कसेगा। विभाग बिल्डरों की जांच कर यह पता लगाया कि बिल्डिंग के निर्माण में जितनी भी वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं, उनपर विभाग को टैक्स मिला है या नहीं। इस बाबत सभी बिल्डरों को नोटिस भेजी जाएगी। निर्धारित समय में बिल्डरों को विभाग के संबंधित अंचल प्रभारियों से मिलकर सारे कागजात पेश करने होंगे। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के वरीय अधिकारी का कहना है कि राजधानी समेत बिहार में कई ऐसे बिल्डर हैं, जो बिल्डिंग के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर सामान राज्य से बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन इंट्री टैक्स देने में कोताही बरतते हैं। हालांकि, बिल्डर उस सामान को बेचता नहीं है इस कारण उसपर वैट देना जरूरी नहीं है। लेकिन इंट्री टैक्स देना जरूरी है। विभाग का मानना है कि अधिकतर बिल्डर सीमेंट, फर्नीचर और सेनेटरी आदि कई आइटम राज्य के बाहर से एकमुश्त मंगवाते हैं। इन सभी वस्तुओं के इंट्री टैक्स की जांच की जाएगी। **(साभार: हिन्दुस्तान, 7.5.2015)**

इंट्री टैक्स : वाणिज्यकर विभाग ने जारी की अधिसूचना

ऑनलाइन सामान पर देने होंगे अधिक पैसे

राज्य में अब ऑनलाइन शॉपिंग करना महँगा होगा। इन पर राज्य सरकार इंट्री टैक्स (इटी) वसूल करेगी। इ-कॉमर्स का व्यापार करनेवाली कंपनियों के सभी सामान नहीं, बल्कि करीब 10 फीसदी सामान ही इसके दायरे में आयेंगे। इसमें मुख्य रूप से मोबाइल, एसी, कूलर समेत अन्य ऐसे सामान ही इसकी जद में आयेंगे, जिनकी सप्लाइ ऑनलाइन की जाती है। इन सामानों पर किसी तरह का वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ इंट्री टैक्स ही लगेगा। यह टैक्स अलग-अलग सामान पर अलग होगा। वाणिज्य कर विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही यह कानून पूरे राज्य में सामान रूप से लागू हो गया है। अब इससे संबंधित नियमावली को भी तकरीबन अंतिम रूप दे दिया गया है। यह कैबिनेट से जल्द ही पास होने जा रहा है।

एक हजार से ज्यादा के चिह्नित सामान को मंगवाने पर इटी देना होगा। अलग-अलग वस्तुओं पर अलग टैक्स लगेगा। राज्य सरकार के इस नये नियम के दायरे में इ-कॉमर्स के जरिये बेची जानेवाली सिफ वहीं वस्तुएं आयेंगी, जो पहले से राज्य सरकार की तरफ से तय इटी की सूची में शमिल हैं। इस सूची में 33 प्रकार की वस्तुएं हैं। इसके बाहर किसी भी वस्तु पर इंट्री टैक्स लागू नहीं होगा या कहें, ऑनलाईन खरीदारी करने वाले सभी सामानों पर इंट्री टैक्स नहीं लगेगा।

इस कंफ्यूजन को कर लें दूर : यह टैक्स वैट नहीं, बल्कि इंट्री टैक्स है। चूँकि सामान की खरीद के समय ही सभी ऑनलाइन कंपनी वैट वसूल लेती हैं। यह सामान के साथ भेजे गये बिल में भी जुड़ा रहता है। ऐसे में किसी दूसरे राज्य में दोबारा वैट नहीं लिया सकता है। इसलिए इन पर इंट्री टैक्स लिया जा रहा है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार लेती है। राज्य के बाहर से आने वाले 33 प्रकार के सामान पर राज्य वाणिज्य कर विभाग इंट्री टैक्स वसूल करती है। इसमें पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, लोहा, शराब, सिगरेट, तंबाकू समेत अन्य सामान भी हैं जो ऑनलाइन कंपनियाँ नहीं बेचती हैं। अब राज्य में ऑनलाइन कंपनियों का सामान डिलेवरी करने वाले सभी कूरियर या इसके एजेंटों को वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी सामान की ऑनलाइन इंट्री करनी होगी। इसमें इंट्री टैक्स के दायरे में आने वाले सामान की अलग से सूची तैयार करके इन पर टैक्स वसूलना होगा। फिर इस टैक्स को विभाग में जमा करना होगा। इन्हें रिटर्न भी फाइल करना अनिवार्य होगा।

इन पर लगेगा टैक्स : • मोबाइल, एसेसरीज समेत सभी तरह के टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो व अन्य पर 5 प्रतिशत • एसी, कुलर पर 5 प्रतिशत • कंम्प्यूटर, लैपटॉप, कंम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, यूपीएस समेत अन्य पर 5 प्रतिशत • सभी तरह के इलेक्ट्रिकल सामान मसलन बल्ब, एलइडी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ट्रांसफॉर्मर पर 8 प्रतिशत • पेपर, लेटर पैड, फाइल, कार्टून जैसे अन्य सामान पर 4 प्रतिशत • सभी तरह के पेंट और इसके जैसे सामान पर 8 प्रतिशत • सभी तरह के फर्नीचर पर 12 प्रतिशत • बैटरी और बैटरी चार्जर पर 12 प्रतिशत।

नहीं लगेगा टैक्स : टीवी, रेडिमेड कपड़ा, जूता, घड़ी, चश्मा, बरतन, कांच के सामान, घर-सज्जा के सभी सामान, बेड शीट, चादर, परदे, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन के तमाम सामान जैसे अन्य वस्तुओं को ऑनलाइन मंगवाने पर किसी तरह का कोई इंट्री टैक्स नहीं लगेगा।

ऐसे देना होगा टैक्स : किसी भी ऑनलाइन कंपनी से सामान खरीदने पर उसका संबंधित कूरियर जब उस सामान की डिलेवरी देने आयेगा, तो उसी समय सामान के मूल्य पर उचित टैक्स ले लेगा। टैक्स लेने के बाद ग्राहक को इससे संबंधित एक अतिरिक्त रसीद देगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के मामले में भी सामान की डिलेवरी देने के समय टैक्स देना पड़ेगा। कूरियर कंपनियों की यह जिम्मेवारी होगी कि इस टैक्स को वे वाणिज्य कर विभाग में जमा करायें। **(प्रभात खबर, 9.5.2015)**

देशभर में कीमतें समान होंगी

"जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लागू होने के बाद टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी इससे कारोबारी, राज्य और उपभोक्ता सभी को फायदा पहुंचेगा।"
– **अरुण जेटली,** वित मंत्री

जीएसटी के लागू होने से किसी वस्तु की कीमतें सभी राज्यों में समान हो जाएंगी। साथ ही देश की कर व्यवस्था में तमाम तरह की कर प्रणालियों से भी उपभोक्ताओं, कारोबारियों और कंपनियों को छुटकारा मिल जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था से आर्थिक विकास में 1.5% की वृद्धि होगी और देश भर में साझा बाजार सृजित होगा। उनका मानना है कि भारत को एकल बाजार बनाने की दिशा में यह पहला कदम है।

10 सवाल जीएसटी से

क्या है जीएसटी : जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है यानी ऐसा कर जो सीधे-सीधे ग्राहकों से नहीं वसूला जाता लेकिन जिसकी कीमत अंत में ग्राहक की जेब से ही जाती है। अप्रैल 2016 यानी अगले वित्तीय वर्ष से जीएसटी को लागू होना है। इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार वाल कदम कहा जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद दूसरे कई तरह के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और उसकी जगह सिर्फ जीएसटी लगेगा।

कितना बदलेगा टैक्स आकार : जीएसटी के लागू होने से केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। राज्यों को मिलने वाला वैट (वैल्यू एडेड टैक्स), मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स, लाटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी इत्यादि सभी खत्म हो जाएगी। हां, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, रसोई गैस पर अलग-अलग राज्य में जो टैक्स लगते हैं, वो अभी कुछ साल तक जारी रहेंगे।

आम आदमी को कितना फायदा : जीएसटी लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को है, क्योंकि तब चीजें पूरे देश में एक ही रेट पर मिलेंगी, चाहे किसी भी राज्य से खरीदें। मसलन दिल्ली से सटे नोएडा, गुड़गांव वाले जो कभी गाड़ी

यूपी से लेते हैं, कभी हरियाणा या कभी दिल्ली से, जहाँ भी सस्ती मिल जाए वो सब बातें खत्म हो जाएंगी। यानी पूरे देश में एक गाड़ी की कीमत समान होगी।

टैक्स में कितनी मिलेगी राहत : उपभोक्ता अभी सामान खरीदते समय उस पर 30-35 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ये टैक्स घटकर 20-25 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

कारोबारियों को क्या फायदा : जीएसटी लागू होने पर कंपनियों का झंझट और खर्च भी कम होगा। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग-अलग टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा तो सामान बनाने की लागत घटेगी, इससे सामान सस्ता होने की उम्मीद भी है।

कैसे राजी हुए राज्य : राज्यों को यह डर था कि उनकी कमाई घट जाएगी। खासकर पेट्रोल-डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है तो वो राहत केंद्र ने राज्यों को दे दी। उनपर अभी जो टैक्स राज्य ले रहे हैं, वो शुरुआती कुछ सालों तक लेते रहेंगे और राज्यों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पांच साल तक केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा जीएसटी से जो टैक्स मिलेगा, वो केंद्र और राज्य में एक तय हिसाब से बंटेगा।

अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद : जीएसटी के लागू होने के बाद देश में कर चोरी के मामले घटेंगे और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

कैसे वसूला जाएगा जीएसटी : जीएसटी की वसूली ऑनलाइन होगी। वस्तु के मैनुफैक्चरिंग के स्तर पर ही इसे वसूल लिया जाएगा। किसी वस्तु का टैक्स जमा होते ही जीएसटी के सभी सेंटरों पर इस बाबत जानकारी पहुँच जाएगी। उसके बाद उस वस्तु पर आपूर्तिकर्ता, दुकानदार या ग्राहक को आगे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर माल एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है तो उसपर चुंगी भी नहीं लगेगा। यानी बॉर्डर पर ट्रकों की जो लंबी कतारें अभी दिखती हैं वे गायब हो जाएंगी।

दर तय कौन करेगा : जीएसटी संबंधित फैसले लेने के लिए संवैधानिक संस्था जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होंगे। इसके मुखिया केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे जबकि राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दर, टैक्स में छूट, टैक्स विवाद, टैक्स दायरे और अन्य व्यवस्थाओं पर सिफारिशें देगी।

इतनी देर क्यों हुई : जीएसटी को लेकर राज्य सरकारें नुकसान की भरपाई पर अड़ी थीं और तमाम कोशिशों के बावजूद इसका कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं निकाला जा सका। अब सरकार ने राज्यों को नुकसान भरपाई का जो फॉर्मूला सुझाया है उसपर राज्यों ने सहमति दी है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 7.5.2015)**

जीएसटी में केंद्र के पास होगा 'वीटो' अधिकार

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में किसी भी प्रस्ताव को लटकाना राज्यों की तुलना में केंद्र के लिए कहीं अधिक आसान होगा। भले ही वित मंत्री अरुण जेटली ने इस मसले पर विपक्ष की फिक्र दूर करने की कोशिश की हो लेकिन हकीकत यही है कि इसमें केंद्र का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी रहेगा।

जेटली ने लोकसभा में कहा था कि परिषद में केंद्र और राज्यों दोनों को वीटो अधिकार मिलेंगे और जीएसटी से जुड़े सभी मसलों पर फैसला लेने के लिए यही निर्णायक संस्था होगी। इसमें राज्यों द्वारा पेश कसी भी प्रस्ताव पर केंद्र अपने दम पर ही अड़ंगा लगा सकता है। लोकसभा में पारित हुए जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार प्रस्तावित परिषद में केंद्र के पास एक तिहाई (33.33 फीसदी) वीटो अधिकार मिलेंगे जबकि दो तिहाई (66.67 फीसदी) वीटो अधिकार राज्यों के पास होंगे।

प्रस्तावित जीएसटी परिषद

कार्य : जीएसटी से जुड़ी दरों, रियायत सूची और सीमा से जुड़े फैसला पर निर्णय करना।

स्वरूप : चेयरमैन : केंद्रीय वित्त मंत्री / **सदस्य :** केंद्रीय वित्त या राजस्व राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री या राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री।

मताधिकार : केंद्र: एक तिहाई मताधिकार • **राज्य:** दो तिहाई मताधिकार प्रत्येक राज्य का बराबर मताधिकार **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.5.2015)**

जीएसटी से जीडीपी को 1.5 फीसद का सहारा

लोकसभा के जीएसटी बिल पास होने पर इंडिया इंक ने खुशी जताई है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी के नए सिस्टम से आर्थिक विकास दर को 1.5 फीसद का सहारा मिलेगा। जीएसटी के कारण पूरे देश में एक बाजार बनेगा। उद्योग चैम्बर सीआइआइ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के मुताबिक पूरे भारत को एक बाजार बनाने की दिशा में यह पहला कदम है। जीएसटी बहुत ही दूरगामी कर सुधार है। इसके जरिये इंडस्टी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। टैक्स पर टैक्स कम होगा। इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ने से विकास होगा। हर राज्य के टैक्स कलेक्शन में बढोतरी से उनको फायदा होगा। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.5 फीसद की बढत दर्ज होगी। साथ ही बिल का पास होना विदेशी निवेशकों को मजबूत संकेत देगा। पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष आलोक बी श्रीराम के मुताबिक जीएसटी के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा इसकी वजह से देश 10 फीसद से ऊपर की दर से विकास कर सकेगा। इसके जरिये जटिल कर व्यवस्था सरल होगी और भारत को एक बाजार बना देगी। **(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 7.5.2015)**

जीएसटी की दर 27 फीसद से रहेगी कम

अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सिंगल टैक्स सिस्टम लागू करने वाले जीएसटी में कर की अधिकतम दर 27 फीसद से काफी कम रहेगी। हालांकि इस दर का निर्धारण जीएसटी काउंसिल करेगी। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध अनुमानों के अनुसार राज्यों को राजस्व का नुकसान न हो इसके लिए दर 27 फीसद रखाना जरूरी नहीं होगा। यह और नीचे रह सकती है। गुड्स एंड सविंसेज टैक्स यानी जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि 27 फीसद टैक्स की दर बहुत ऊंची है। जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व का नुकसान न हो इसके लिए उचित दर इससे काफी नीचे रहेगी। जेटली ने स्पष्ट किया कि इस दर का सुझाव केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया। 13वें वित्त आयोग ने 18 फीसद की दर का सुझाव दिया था। टैक्स दर 27 फीसद का अनुमान आने के बाद ही राज्यों और केंद्र ने अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। जेटली ने कहा कि केंद्र ने पेट्रोलियम को भी इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया था। कोई वित्त मंत्री नहीं चाहता कि यह अपने राज्य की जनता पर कर की ऊंची दर का बोझ डाले। इसलिए राज्यों को कर की दर को नीचे रखना ही होगा।

(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 7.5.2015)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण के लिये पैन अनिवार्य

निजी कंपनियों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण को लेकर स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य कर दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में काम करने को आसान बनाने के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा सरल बनाये गये नियमों के तहत आनलाइन आवेदन जमा करने के दो दिन के भीतर पंजीकरण किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार पंजीकरण चाहने वालों के लिये संबंधित आवेदनकर्ताओं को मालिक या कानूनी इकाई के पैन का उल्लेख अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया है, 'सरकारी विभागों को आनलाइन आवेदन में पैन का जिक्र करने की अनिवार्यता से छूट दी गयी है। सरकारी विभागों के अलावा आवेदनकर्ताओं को पैन के बिना पंजीकरण नहीं दिया जाएगा।' इसके अनुसार आवेदनकर्ताओं को अपने आवेदन फार्म में अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर देना होगा। इसमें कहा गया है कि लेन-देन में लगने वाले समय को कम करने के लिये करदाताओं के साथ सूचना का आदान-प्रदान इलेक्ट्रानिक किया जा रहा है। नये सरलीकृत प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से तैयार आवेदन फार्म प्राप्त होने के बाद दो कार्य दिवस के भीतर पंजीकरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। देश में उत्पादित वस्तुओं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिये पंजीकरण की जरूरत होती है। **(साभार: राष्ट्रीय सहारा, 5.5.2015)**

ENTER ENTRY TAX, PAY MORE FOR ONLINE BUY

Traders and industry organisations welcomed the move saying e-commerce trade was affecting traditional trade.

"It is a welcome move, as it would provide a level playing field for both online and offline trade. It was, hither to an unhealthy competition, causing losses to the state's exchequer but now the anomalies have been removed." BCCI President O. P. Sah said. Former president of the body P. K. Agarwal said the e-commerce market in the country was estimated at around Rs. 10,000 crore.

(Details : The Telegraph, 14.5.2015)

12 रुपये में लें दो लाख का दुर्घटना बीमा

सभी बैंक खाताधारक उठा सकते हैं, इस योजना का फायदा

बैंक खाताधारक अब न्यूनतम प्रीमियम देकर जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा करा सकेंगे। इसके अलावा बुढ़ापे में पेंशन के लिए भी केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना लांच करने जा रही है। इन योजनाओं का लाभ खाताधारक को एक ही खाते पर मिलेगा, क्यों न उसके अन्य बैंकों में एक से ज्यादा खाते हों।

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मात्र 330 रुपये में दो लाख का जीवन बीमा • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये में करायें दो लाख का दुर्घटना बीमा • 18 से 70 वर्ष तक की आयु के खाताधारक उठा सकते हैं लाभ • सभी बैंकों के खाताधारकों के लिए एक जून से उपलब्ध होंगी ये योजनाएं • अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए है आयु सीमा 18 से 40 वर्ष।

(विस्तृत: राष्ट्रीय सहारा, 5.5.2015)

बैंक खाते में सब्सिडी पर टैक्स को लेकर संशय

सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आने वाली एलपीजी सब्सिडी तथा अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर कर लगने के बारे में स्थिति साफ नहीं है। मामले में कर विशेषज्ञों की राय भी अलग-अलग है और उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2015 में आय की परिभाषा का विस्तार किया गया है जो आयकर कानून, 1961 के तहत कर योग्य है। इसमें सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन तथा शुल्क वापसी से संबधित उपबंध शामिल किया गया है।

आयकर कानून की परिभाषा का विस्तार कर इसमें सब्सिडी, अनुदान आदि को शामिल करने का अर्थ क्या बैंक खातों में मिलने वाली सब्सिडी पर कर देने से है। इस बारे में कर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 5.5.2015)**

वित्त वर्ष 2014-15 में गैर-खाद्य ऋण में पिछले वर्षों की तुलना में कमी

5.6 फीसदी बढ़त रही उद्योग जगत में पिछले वित वर्ष में जो बहुत कम है। वित्त वर्ष 2013-14 में यह बढ़ोत्तरी 13.1 फीसदी रही थी।

• 60,43,000 करोड़ ऋण बकाया था गैर -खाद्य क्षेत्र में 20 मार्च, 2015 तक • 8.6 फीसदी की वृद्धि हुई गैर-खाद्य ऋण में पिछलें वित्त वर्ष में, जो कई सालों में सबसे कम है • 15 फीसदी की बढोतरी हुई 2014-15 के वित्त वर्ष में जबकि 2013-14 में यह 13.5 फीसदी रहा था • 26,65,100 करोड़ ऋण की राशि रही उद्योग क्षेत्र में विगत वित वर्ष में • 14,12,000 करोड़ का ऋण सेवा क्षेत्र के खाते में गया विगत वित्त वर्ष में • 5.6 फीसदी बढ़ा सेवा क्षेत्र का ऋण पिछले वित्त वर्ष में, जबकि 2013-14 की अवधि में यह दर 16.1 फीसदी रही थी • 3,13,600 करोड़ ऋण गैर-बैंकिंग वित्तीय कॉर्पोरेशनों के खाते में गया वित्त वर्ष 2014-15 में • 6.4 फीसदी सालाना बढ़ोतरी रही गैर-बैंकिग वित्तीय कॉर्पोरेशनों के ऋण में पिछले वर्ष, जबकि 2013-14 में यह दर 13.2 फीसदी थी • 11,95,800 करोड़ व्यक्तिगत ऋण के मद में गये पिछले वित्त वर्ष में • वित्तीय वर्ष 2013-14 की दर की तुलना में पिछले साल की दर करीब समान ही रही, इस मद में। **स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया**

(साभार: प्रभात खबर, 4.5.2015)

विद्युत संबंधी शिकायत यहाँ दर्ज कराएं

• **श्रीकृष्ण मेमोरियल फ्यूज कॉल सेंटर** 7033190142 (ए. एन. सिन्हा इंस्टीच्यूट से पीरबहोर थाना तक दोनों तरफ का क्षेत्र, कलेक्ट्रेट, सिविल कोर्ट क्षेत्र, पाटलिपुत्र धर्मशाला, सब्जीबाग, बिरला मंदिर रोड, भवर पोखर, बाकरगंज, जामुन गली, पार्क रोड, कदमकुआं, दलदलीरोड, आइएमए हॉल, हथुआ मार्केट, राजधानी मार्केट, बारी पथ) • **पीएमसीएच फ्यूज कॉल सेंटर** 7033190144 (अशोक राजपथ पीरबहोर थाना से खुदाबख्श लाइबेरी तक मखनियाँ कुआं, गोविंद मित्रा रोड, काजीपुर, बंगाली अखाड़ा लंगरटोली चौराहा, दरियापुर, सब्जीबाग, बैंक कॉलोनी, बिहारी साव लेन, दुरूखी गली बारी पथ) • **विश्वविद्यालय फ्यूज कॉल सेंटर** 7033190146 (महेन्द्रु, रानीघाट, गोलकपुर, रमना रोड, खजांची रोड, पटना विश्वाविद्यालय, बीएम दास रोड, लालबाग, नया टोला)

विद्युत अभियताओं से करें संपर्क : • कार्यपालक अभियता: 7763814127 • सहायक अभियंता (राजस्व) : 7763814129 • सहायक अभियंता (बांकीपुर) : 7763814130 • सहायक अभियंता (विश्वविद्यालय) : 7763814133 • कनीय अभियंता (बांकीपुर-1) : 7763814131 • कनीय अभियंता (बांकीपुर-2): 7763814132 • कनीय अभियता (पीएमसीएच) : 7763814134 • कनीय अभियंता (विश्वविद्यालय) : 7763814135 **(साभार: प्रभात खबर, 7.5.2015)**

बिजली कंपनी पर आयोग ने लगाया 75000 जुर्माना

एलटी उपभोक्ता को बिजली बिल अधिक देने व परेशान करने की शिकायत पर रेगुलेटरी कमीशन ने साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी पर 75 हजार जुर्माना लगाया है। बाढ़ के बिजली आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता व सहायक अभियंता पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना भरने का समय 18 मई तक है। इसके बाद प्रत्येक दिन छह हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा।

रेगुलेटरी कमीशन इस मामले की समीक्षा 29 मई को फिर करेगा। कमीशन के अध्यक्ष यूएन पंजियार व सदस्य एससी झा ने आदेश पारित किया है। बाद के एलटी उपभोक्ता जवाहर प्रसाद दाल मिल के लिए कनेक्शन लिया था। दाल मिल के लिए लगे मोटर की क्षमता 15 एचपी थी। जबकि उसे 20 एचपी के दर से बिजली बिल भेजा गया। बिजली कंपनी ने तीन लाख चार हजार चार सौ बीस रुपये का बिल भेजा। बिजली बिल में सुधार के लिए लगातार प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिलने पर उपभोक्ता ने कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम (सीजीआरएफ) पटना में शिकायत दर्ज कराया। सीजीआरएफ ने आठ अगस्त, 2012 को सुनवाई में उपभोक्ता के पक्ष में आदेश पारित किया। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत धारा 142 के तहत बिजली कंपनी पर एक लाख का जुर्माना किया गया। सीजीआरएफ के आदेश को दो साल तक अनुपालन नहीं होने के बाद उपभोक्ता ने एंबुड्समन में शिकायत दर्ज करायी।

एंबुड्समन ने सीजीआरएफ के आदेश को सही ठहराया। एंबुड्समन के आदेश को भी बिजली कंपनी ने अनुपालन नहीं किया। इसके बाद मामला रेगुलेटरी कमीशन में आया। **(साभार: प्रभात खबर, 7.5.2015)**

शिकायतों पर 23 साल बाद कार्रवाई

23 वर्षों से विद्युत उपभोक्ता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक बार फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर 50 हजार, सारण के कार्यपालक विद्युत अभियंता पर 1000 व सहायक विद्युत अभियंता पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि 31 मई, 2015 तक जिला कोषागार में जमा करनी है। यदि विद्युत कंपनी सहित विद्युत अभियंता जुर्माना जमा नहीं करते हैं तो 6,000रु प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्मान जमा करना होगा।

सारण के मढ़ौरा का है मामला : सारण जिले के मढ़ौरा थाना के औटा गांव में वर्ष 1992 में ट्रांसफार्मर जल गया था। जले ट्रांसफार्मर को 1996 तक नहीं बदला, लेकिन प्रतिमाह बिजली बिल भेजा जाता रहा। इस रवैये से परेशान विद्युत उपभोक्ता लगातार विद्युत कंपनी के कार्यालयों का चक्कर लगाते रहे। आखिरकार 2014 में टैरिफ पर जन-सुनवाई करने बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की टीम छपरा गई तो उपभेक्ताओं ने गुहार लगाई। गाँव के कुल 16 उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया। आयोग के आदेश के बाद नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 14 लोगों का बिजली बिल सुधार कर दिया, लेकिन मनोज कुमार का बिजली बिल नहीं सुधारा गया। 2015 में आयोग की टीम जब टैरिफ पर सुनवाई करने छपरा गई तो मनोज कुमार ने दोबारा आयोग के समझ आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष यूएन पंजियार, सदस्य एससी झा ने विद्युत कंपनी पर 52 हजार का जुर्माना लगाया। **(साभार: दैनिक भास्कर, 7.5.2015)**

बक्सर सहित 33 स्टेशनों पर बंद हुई पार्सल बुकिंग

पूर्व मध्य रेलवे के बक्सर स्टेशन सहित दानापुर व धनबाद डिवीजन के तैंतीस रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग की सुविधा रेलवे ने बंद कर दी है। अब इन रेलवे स्टेशनों से पार्सल नहीं भेजे जा सकेंगे।

आरा, बक्सर, दिलदारनगर, जमानियां स्टेशन सहित दानापुर व धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कई स्टेशनों पर पार्सल की अब बुकिंग नहीं होगी। रेलवे ने इन स्टेशनों के पार्सल सुरपरवाइजरों को इसकी सूचना भेज दी है। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, हाजीपुर ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्देश भी सभी पार्सल

सुपवाइजरों को दिया है। इधर, बुकिंग बंद होने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, हैं, क्योंकि छोटे-बड़े व्यापारियों का धंधा सीधे रेलवे से जुड़ा हुआ है। मछली, घी, मसाला सहित कई अन्य सामान स्थानीय रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के सहारे देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाते हैं। पार्सल भेजने के लिए अब लोगों को मुगलसराय व पटना जाना पड़ेगा। ऐसे में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेगा। रेलवे के वाणिज्य विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्टेशनों पर पार्सल की बुकिंग से होने वाली आय में काफी कमी आई है।

दानापुर के इन स्टेशनों पर बंद हुई बुकिंग : बक्सर, आरा, दिलदारनगर, जमानियां, जमुई गिद्धौर, मोकामा, बाढ, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, गुलजारबाग, वारिसलींगज, शेखपुरा, नवादा, बिहाशरीफ, मानपुर, हाथीदह, काशीचक, बडहिया और तिलैया। **(साभार: हिन्दुस्तान, 3.5.2015)**

50 फीसदी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ पूरा

राज्य में उन गाँव में बिजली पहुँचाने के काम में तेजी आयी है, जहाँ आज तक बिजली नहीं थी। ऐसे गाँव को चिह्नित कर बिजली पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बिजली कंपनी ऐसे गाँव पर विशेष ध्यान दे रही है। बिजली आपूर्ति का काम देख रही एजेंसी को सख्त हिदायत दी गयी है।

जिला	बिजलीविहीन	बिजली पहुँची
पटना	86	44
गया	402	162
बांका	46	24
रोहतास	50	33
नालंदा	44	38
भोजपुर	115	62

जिला	बिजलीविहीन	बिजली पहुँची
नवादा	22	18
अररिया	30	24
किशनगंज	147	51
पूर्णिया	190	130
सीवन	17	17

11 वीं पंचवर्षीय योजना के फेज-टू के तहत चयनित गाँव में पचास फीसदी गाँव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। वहाँ पोल गाड़ने, बिजली तार लगाने ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम पूरा हो गया है। साउथ बिहार के सात जिले व नॉर्थ बिहार के चार जिले के गाँव में जहाँ आज तक बिजली नहीं गयी उस गाँव में जून माह तक बिजली पहुंचाना है। **(साभार: प्रभात खबर, 8.5.2015)**

गलत सूचना दी तो कैंसिल हो जाएगी रेल टिकट

अगर आप गलत तरीके से ऑनलाइन रेल टिकट खरीदते हैं, तो आपकी टिकट कैंसिल हो सकती है। रेलवे की ओर से सुबह दस बजे से सवा दस बजे तक खरीदे गए ऑनलाइन रेल टिकटों की जांच के लिए यात्रियों को वेरीफिकेशन कॉल आएगा। यात्रियों को अपना यूजर आई डी, पीएनआर व जर्नी डिटेल्स अधिकारी को सही-सही बताना होगा। चुनिंदा नंबरों पर इस तरह के कॉल के जरिए रेलवे उन शातिरों पर नजर रख रही है, जो गलत तरीके इस्तेमाल कर टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। रेलवे सूत्रों की मानें तो वेरीफिकेशन के दौरान गलत सूचनाएं दिए जाने पर एक तो ऐसे यात्रियों की टिकट रद्द कर दी जाएगी और उनपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आईआरसीटीसी ने इस बाबत वेबसाइट पर सूचना दे दी है, ताकि पैसेंजर पहले से ही ऐसे कॉल के लिए तैयार रहें। हालांकि, अगर किसी नंबर से यूजर्सआईडी, पीएनआर, पर्सनल डिटेल्स के अलावे पासवर्ड व अन्य जानकारियाँ लेना चाहे तो यात्री न बताएं, क्योंकि पार्सवर्ड पूछकर कोई आपके साथ जालसाजी भी कर सकती है।

वीआईपी कोटे पर भी विजिलेंस नजर

रेलवे विजिलेंस की टीम हाल के दिनों में वी आईपी कोटे पर भी नजर रख रही है। खासकर उन टिकटों पर विशेष नजर है, जो टिकट काउंटरों के बजाय ऑनलाइन खरीदी जा रही है। इतना ही नहीं वीआईपी कोटे से कंफर्म टिकटों पर सफर कर रहे यात्रियों से यात्रा के दौरान यह भी जांचा जा रहा है कि कहीं दलालों के जरिए ली गई टिकट को वीआईपी कोटे से टिकट कंफर्म तो नहीं कराई जा रही। **(हिन्दुस्तान, 8.5.2015)**

ट्रेन में ही दर्ज होगी एफआइआर

अगर आपको रेल यात्रा के दौरान किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करानी है, तो ट्रेन से उतरने का ईतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मई से चलती ट्रेन में ही ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होगी। यात्री हर तरह की शिकायत रेल सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 पर दर्ज करा सकते हैं। यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक आदित्य कुमार मित्तल ने ऑनलाइन एफआइआर लॉजिंग एवं रेल सुरक्षा हेल्पलाइन 182 की सुविधा का लोकार्पण करते हुए दी। अपर पुलिस महानिदेशक (रेल) केएस द्विवेदी ने कहा कि चलती ट्रेन में एस्कॉट पार्टी प्राथमिकी दर्ज करेगी। प्राथमिकी दर्ज कराने का फार्म बुकलेट के रूप में आरपीएफ और जीआरपी को उपलब्ध करा दिया गया है। पहले छोटी-छोटी चोरी की घटनाएं रेल पुलिस तक नहीं पहुँच पाती थी। यात्रियों को प्राथमिकी दर्ज कराने के चक्कर में ट्रेनों को छोड़ना पड़ जाता था। नई व्यवस्था से यात्रियों की शिकायत यात्रा के दौरान ही दर्ज हो सकेगी।

एडीजी ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का प्रशिक्षण : अपर पुलिस महानिदेशक (रेल) केएस द्विवेदी ने पुलिसकर्मियों को चलती ट्रेनों में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर में पटना, कटिहार, जमालपुर के रेल एसपी के साथ कई जीआरपी और आरपीएफ के थाना प्रभारी मौजूद थे। बुकलेट में 50 सेट का प्रपत्र है। हल्के हरे रंग का फॉर्म शिकायतकर्ता को दे देना है। गुलाबी रंग का फॉर्म थाना स्थानांतरण तथा सफेद रंग का फॉर्म प्राथमिकी दर्ज करने वालों के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि फॉर्म एस्कॉट पार्टी ही भरेगी। एक मई से इस योजना को शत फीसदी सफल बनाने का निर्देश दिया। **(साभार: दैनिक जागरण, 30.4.2015)**

अब ट्रैफिक थानों में ही दर्ज होंगे सड़क हादसे के मामले

राजधानी में सड़क हादसे के मामले अब स्थानीय थाने में दर्ज नहीं होंगे और न ही वहाँ के अधिकारी जाँच करेंगे। स्थानीय थानों में बढ़ते मुकदमों को देखते हुए सड़क दुर्घटना से संबंधित सारे मामले राजधानी में बने तीन ट्रैफिक थानों में दर्ज होंगे। ये थाने हैं गाँधी मैदान ट्रैफिक थाना, सगुना मोड़ टैफिक थाना और बाइपास पर स्थित जीरो माइल ट्रैफिक थाना। ट्रैफिक थानों के अधीन आने वाले स्थानीय थानों को भी चिह्नित कर दिया गया है। यही नहीं, जिन स्थानीय थानों में सड़क दुर्घटना से ट्रैफिक से संबधित मामले हैं, उन्हें इन ट्रैफिक थानों को दे दिया जाएगा। शहर के वैसे थाने, जो ट्रैफिक थाने के अधीन नहीं हैं, वे अपने यहाँ ही दर्ज मामले की जाँच करेंगे। ट्रैफिक एसपी प्राणतोष कुमार दास ने बताया कि इस बाबत ट्रैफिक थाने के तीनों थानेदारों को आदेश जारी कर दिया है।

ट्रैफिक थानों के अधीन थाने

• **गाँधी मैदान ट्रैफिक थाना :** गाँधी मैदान, पीरबहोर, कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी, कदमकुआँ, राजीवनगर, पाटलिपुत्र, सचिवालय, दीघा, गर्दनीबाग, एसकेपुरी व शास्त्रीनगर • **सगुना मोड़ ट्रैफिक थाना:** एयरपोर्ट, रूपसपुर, दानापुर, खगौल व फुलवारीशरीफ • **जीरोमाइल ट्रैफिक थाना:** बेउर, जक्कनपुर, रामकृष्णानगर, पत्रकारनगर, कंकड़बाग, अगमकुआँ, आलमगंज, दीदारगंज व बाईपास। **(साभार: दैनिक भास्कर, 3.5.2015)**

राजधानी में फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर दिखेगा

चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों में एक फ्लाईओवर के ऊपर से चार-पाँच फ्लाईओवर गुजरते हैं। मुम्बई, दिल्ली में भी एक के ऊपर एक फ्लाई ओवर देखे जा सकते है। अब इस तरह का नजारा बिहार में भी संभव हो पाएगा। एम्स-दीघा एलीवेटेड सड़क जगदेव के पास बेली रोड फ्लाईओवर के ऊपर से होकर गुजरेगी। उसकी ऊचाई जमीन से 25 मीटर होगी। 27 सौ पिलर पर खड़ी एलीवेटेड सड़क अगले साल के अंत में बनकर तैयार हो जाएगी, हालांकि इस साल अक्टूबर माह में गंगा का साइड का हिस्सा अशोक राजपथ से जुड़ जाएगा।

• कुल लंबाई- 11.9 किलोमीटर • दो लेन- 2.9 किलोमीटर • चार लेन- 9 किलोमीटर • पिलर की संख्या-27 सौ **(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 8.5.2015)**

एक साथ पार्क होंगे 350 वाहन

बुद्ध स्मृति पार्क परिसर में निर्मित जी प्लस थ्री फ्लोर की मल्टी स्टोरी पार्किंग जुलाई-अगस्त से शुरू हो जायेगी। पार्किंग का रास्ता नहीं होने से तीन वर्षों से उद्घाटन नहीं हो सका, अब रास्ता का विवाद खत्म हो गया है और अगले तीन माह में सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के साथ-साथ इसे आम आदमी के लिए खोल दिया जायेगा। जंकशन के समीप बुद्ध स्मृति पार्क में आने वाले पर्यटकों को वाहन बाहर ही लगाना पड़ता है। इस रोड में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग सड़क किनारे ही वाहन खड़ा करते हैं। जंकशन गोलंकर, स्टेशन रोड, चांदनी मार्केट, वीणा सिनेमा और फ्रेजर रोड पर वाहन से आने वाले लोगों के लिए कहीं समुचित पार्किंग नहीं है। इस कारण जाम की समस्या रहती है। बुद्ध स्मृति पार्क परिसर के पश्चिम-

दक्षिण में मल्टी स्टोरी वाहन पार्किंग बना है। 60 लाख की लागत से लाइटिंग की व्यवस्था के साथ-साथ स्वचालित मशीन लगी है। पार्किंग में एक साथ तीन से साढ़े तीन सौ वाहन खड़ी करने की क्षमता है। पार्क में वाहन खड़ा करने के लिए अंदर से रास्ता है जबकि बाहरी लोगों के लिए बाहर से रास्ता बना है। बाहरी रास्ता नहीं मिलने के कारण पार्किंग का उद्घाटन रूका हुआ था। (साभार : प्रभात खबर, 5.5.2015)

बढ़ रहे वाहन, घट रही सड़क

वाहनों की संख्या में हर साल एक लाख की बढ़ोतरी, मगर सड़कें वही और उस पर भी अतिक्रमण। ऐसे में जाम से कराह रही राजधानी की हालत कैसे सुधरेगी। दरअसल, राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा नहीं होने की वजह से लोग खुद के वाहन का उपयोग अधिक करते हैं। वर्तमान में राजधानी में वाहनों की संख्या आठ लाख के पार पहुँच चुकी है। इनमें से दो लाख वाहन तो सड़क पर रहते हैं। बाहर से आने वाली गड़ियों की जोड़ दिया जाए तो हर दिन राजधानी में हर दिन तीन लाख गाड़ियों का आवागमन हो रहा है।

एक्सपर्ट व्यू : • पटना में क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 15 प्रतिशत सड़क होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ आठ फीसदी ही है। • वर्तमान में पटना की सबसे बड़ी जरूरत मैट्रो रेल की है। इससे ट्रैफिक पर 50 फीसदी तक दबाव कम होगा। • सिटी से गाँधी मैदान तक मोनो रेल चलाने से प्रदूषण के साथ 50 फीसदी ऑटो ही बचेंगे।

पिछले पाँच वर्षों में ऐसे बढ़े वाहन

वर्ष	भारी	मध्यम	चारपहिया	तिपहिया	बस	मिनी बस	टैक्सी	ऑटो
2010-11	1011	900	971	697	241	61	1181	3099
2011-12	1575	637	1039	582	352	38	1574	3850
2012-13	1211	775	1181	846	225	13	1488	5359
2013-14	717	869	1282	1142	166	142	1242	4945
2014-15	1104	1042	1237	1177	227	374	776	2994

वर्ष	मोपेड	दोपहिया	कार	जीप	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	कुल
2010-11	67	50850	12493	2515	1383	839	30	76338
2011-12	60	57776	13805	1706	1410	846	21	85271
2012-13	91	58043	12537	1740	1649	693	05	85862
2013-14	224	66665	11033	1800	2033	516	02	92778
2014-15	218	74117	13643	1538	2028	806	18	101299

(दैनिक भास्कर, 6.5.2015)

भवन निर्माण विभाग में नया रेट्रोफिटिंग सर्किल

भूकंप से हुई तबाही से सबक लेते हुये राज्य सरकार भवन निर्माण विभाग में नया रेट्रोफिटिंग सर्किल के साथ चार प्रमंडलों का गठन कर रही है। नये प्रमंडलों के गठन का मकसद पुराने सरकारी भवनों की अब सामान्य मरम्मत नहीं बल्कि भूकंप से बचाव के लिए रेट्रोफिटिंग तकनीक से दुरूस्त करना है। भवन निर्माण विभाग का रेट्रोफिटिंग प्रमंडल पटना, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में होगा। सभी प्रमंडल में भूंकपरोधी निर्माण के विशेषज्ञ कार्यपालक अभियंता के साथ सहायक और कनीय अभियंता भवनों की जांच कर रेट्रोफिटिंग का प्राक्कलन बनाने से लेकर निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगे। चारों प्रमंडल का कमान पटना रेट्रोफिटिंग सर्किल के पास होगा। सर्किल में अधीक्षण अभियंता का पद होगा। नये सर्किल और प्रमंडल में भूकंपरोधी निर्माण के विशेषज्ञ, प्लानिंग और डिजाइन के साथ स्ट्रक्चरल जानकार तैनात किये जायेंगे।

कैसे करेगा कार्य : सरकारी स्कूल, अस्पताल, कालेज, छात्रावास, सरकारी बंगला, कर्मचारी आवास सर्किट हाउस, न्यायालय भवन, प्रखंड सह अंचल कार्यालय सहित सभी की जांच कर सामान्य मरम्मत के बजाय भूकंपरोधी रेट्रोफिटिंग की जरूरत का आकलन किया जायेगा। रेट्रोफिटिंग के विभिन्न तकनीकों में जरूरत के अनुसार प्राक्कलन और निर्माण कार्य कराने की जिम्मेदारी होगी। विभाग हरेक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक अस्पताल और प्रशासनिक भवन को भूकंपरोधी तकनीक से सुरक्षित करने की योजना तैयार की है। रेट्रोफिटिंग प्रमंडल में सामान्य नागरिक अपने भवन के बारे में मुफ्त सलाह प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर बिहार के जिलों में भूंकप से ज्यादा प्रभाव को देखते हुये तिरहुत और कोसी प्रमंडल के साथ भागलपुर प्रमंडल को भूकंपरोधी निर्माण संसाधन से लैस किया जा रहा है।

क्या है रेट्रोफिटिंग प्रणाली : पुराने भवनों की संरचना के अनुसार भूकंपरोधी तकनीक से सुरक्षित बनाया जाता है। ऐसे मकान जिसमें नीचे पार्किंग उपर फ्लैट हो उसके चारो कोने पर गाड़ियों के शॉकर की तरह काम करने वाले गटर, कंक्रीट वाल अथवा अन्य निर्माण लगाया जाता है। यदि भवन कालम-बीम के फ्रेम से बना हो या मिट्टी, चूना-सुरकी सबके लिए अलग-अलग तकनीक ईजाद किया गया है। नये प्रमंडलों का कार्य मरम्मत के बजाये संरक्षक कार्य की जिम्मेदारी होगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.5.2015)

जनधन में भूकंप और सर्पदंश पर भी बीमा

जन-धन योजना में अब भूकंप और साँप के काटने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। नेशनल पेमेंट कापोरिशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश भेज दिया है। जन-धन योजना के अंतर्गत बिहार में 85 लाख खाते खोले गए हैं। सरकार की ओर से इसमें 30 हजार का दुर्घटना बीमा किया जाता है। प्रीमियम सरकार भरती है। वे सभी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाते खोले हैं व रूपे कार्ड होल्डर हैं, इसकी पात्रता रखते हैं। लेकिन, जिनकी आमदनी आयकर एक्ट, 1961 अथवा आय पर टीडीएस काटने को श्रेणी में आता है, उन्हें और उनके परिवार को इस बीमा के दायरे से बाहर रखा गया है।

ये होंगी शर्तें : • दुर्घटना से 45 दिनों में रूपे कार्ड का इस्तेमाल जरूरी • परिवार से सिर्फ एक खाताधारक को ही लाभ • बीमित की उम्र 18 से 59 के बीच होनी चाहिए • वित्तीय वर्ष 2019-20 तक ही हुआ है योजना का विस्तार • 15/8/2014 से 26/1/2015 के बीच खोला हो पहला खाता। (दैनिक भास्कर, 4.5.2015)

न्यूनतम ₹ 1000 की पेंशन योजना जारी रहेगी

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक की पेंशन देने की योजना को स्थायी रूप से मंजूर कर दिया। इससे 20 लाख लोगों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन योजना को 2014-15 से आगे निरंतर जारी रखने को मंजूरी प्रदान की। अभी यह योजना मार्च-2015 तक प्रभावी थी। ईपीएफओ ने पहली अप्रैल से इस योजना को निलंबित कर रखा था क्योंकि उसे इस योजना को 31 मार्च से आगे जारी रखने के विषय में कोई निर्देश नहीं मिला था। (साभार: हिन्दुस्तान, 30.4.2015)

पुस्तकालय से जुड़ी कुछ अहम बातें

• 38 जिले में से 19 जिलो में ही जिला केंद्रीय पुस्तकालय • 101 अनुमंडल हैं पर 10 में ही पुस्तकायल • 06 प्रमंडलीय पुस्तकालय एक स्टेट लाइब्रेरी पूर्णिया में • 1 साल से कर्मियों को नहीं मिला वेतन • 2014-15 में सरकार ने विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए तीन-तीन लाख पास किया, मगर यह निकला ही नहीं • एकमात्र स्टेट लाइब्रेरी पूर्णिया की हालत यह है कि 2004 से वहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद खाली है • गेट पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुरा, वैशाली सहित कुल सात पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय का दर्जा • विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थिति यह है कि इन्हें वर्षों से साल भर में सिर्फ छह हजार रुपए अनुदान मिला। (हिन्दुस्तान, 4.5.2015)

तंबाकू बेचने के तहत ऐसे होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत तंबाकू बेचने व उत्पाद करते पकड़े गये लोगों पर कार्रवाई होगी :- • 59 (1) : छह माह का कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना • 59 (2) : एक साल का कारावास व तीन लाख रुपये का जुर्माना • 59 (3) : छह साल कारावास व पांच लाख रुपये का जुर्माना • 5 9 (4) : आजीवन कारावास व दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह है कोटपा कानून : • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे न तंबाकू वाले पदार्थ बेच सकते हैं और न ही उसे खरीद सकते हैं • स्कूल-कॉलेजों के सौ गज के दायरे में तंबाकू वाले पदार्थ से संबंधित सामान की दुकान नहीं होनी चाहिए • हर दुकान में लिखा होना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तंबाकू वाले पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। (साभार : प्रभात खबर, 11.5.2015)

आगामी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी

चैम्बर को विश्व में आयोजित होने वाले वर्ष 2015 के विभिन्न विषयों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी की पूरी जानकारी (Trade Fare Calendar of Events 2015) प्राप्त हुई है। इच्छुक सदस्य कार्यालय से सम्पर्क करें।

बिहटा, नालंदा और गया बन रहे नए एजुकेशनल हब

प्रदेश के छोटे-छोटे शहरों में तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से विकसित हो रहा शैक्षणिक माहौल

नालंदा विवि व विक्रमशिला विवि के जरिए शिक्षा क्षेत्र में कभी विश्व पताका फहराने वाला बिहार एक बार फिर ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उत्तर बिहार का वैशाली हो या दक्षिण बिहार का मगध क्षेत्र, कुछ वर्षों में राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या चहुंओर बढ़ी है।

पहले तो सिर्फ पटना ही तकनीकी या स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता था। अब नालंदा, गया और बिहटा जैसे छोटे शहर भी एजुकेशनल हब के रूप में उभर रहे हैं। इन जगहों में देश व राज्यस्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित हो रहे हैं या होने की राह पर हैं। यदि इन जगहों पर प्रस्तावित शिक्षण संस्थानों को जोड़ दें तो पूरे बिहार में खुले संस्थानों को आधी संख्या यहीं होगी।

• 100 करोड़ रुपए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए • 72 करोड़ रुपए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को कैंपस के लिए मिले।

तरक्की :

• **उत्तर बिहार :** वैशाली में 2008 के बाद आठ इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले • किशनगंज में एएमयू की शाखा प्रस्तावित, मुजफ्फरपुर में खुले पाँच नर्सिंग कॉलेज • **दक्षिण बिहार :** पटना, बिहटा, नालंदा और गया में कई राज्यस्तरीय संस्थानों की स्थापना • पटना का मीठापुर इलाका शिक्षण संस्थानों की रेस में प्रदेशभर में निकला आगे।

पटना में प्रमुख शैक्षणिक संस्थान : आईआईटी, एम्स-पटना, आईजीआईएमएस, तीन निजी इंजीनिजरिंग कॉलेज, दो पॉलिटेक्निक कॉलेज (निजी व सरकारी) और 24 बीएड कॉलेज।

तकनीकी संस्थानों में अब भी पीछे

राज्य	एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान	मेडिकल कॉलेज
बिहार	322	14
महाराष्ट्र	5887	45
प. बंगाल	1233	17
आंध्र प्रदेश	8759	46
मध्य प्रदेश	2365	13
उत्तर प्रदेश	4118	32

(इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी आदि संस्थानों को एआईसीटीई मान्यता देती है।

बिहार के शिक्षण संस्थान (निजी व सरकारी)

बीएड कॉलेज	196
इंजीनियरिग कॉलेज	27
पॉलिटेक्निक कॉलेज	34
मेडिकल कॉलेज	14
एएनएम नर्सिंग कॉलेज व विभाग	44
जीएनएम नर्सिंग कॉलेज व विभाग	09
बीपीईडी	02
डीआईईडी	77
एमएड	04
आईटीआई	75

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.5.2015)

NEWS IN BRIEF

Center De-reserves 20 Items : The government has decided to de-reserve the remaining 20 items at present reserved for exclusive manufacture by MSE Sector. The items include exercise books and registers, wax candles, laundry soap, fireworks, agarbatties, glass bangles, steel almirahs, rolling shutters, steel chairs and tables of all types, padlocks, stainless steel utensils, and domestic utensils of aluminium.

MF houses line up retirement plans : Encouraged by tax incentives for investment in retirement schemes floated by mutual funds, several fund houses, including IDBI MF and Birla Sun Life MF, have lined up plans to launch such products. Earlier, only insurance companies were allowed to offer pension products with tax incentives.

Bonds galore : After a gap of more than a year, government agencies are lining up nearly Rs 40, 000 crore of bonds in the next few months. Indian Railways Finance Corporation (IRFC), May obtain the highest allocation of about Rs. 15, 000- 17,000 crore. The rate of interest for these tax bonds is likely to be in the range of 7-7.25 per cent. In 2013-14, the government had sold Rs. 49,200 crore worth tax-free bonds.

Excess spent on CSR cannot be carried forward : Excess amount spent by corporates on CSR activities in a particular fiscal under the Companies Law cannot be carried forward to subsequent financial years. With companies preparing to disclose details about CSR expenses in their annual filings, chartered accountants apex body ICAI has issued detailed set of Frequently Asked Questions (FAQS) for its members with regard to reporting of such expenditure.

Libor-like benchmark in offing : The Reserve Bank plans to introduce an external benchmark rate, like the Libor, where loans could be benchmarked against market rate. A benchmark inter-bank rate, which will see practically the end of the base rate that is arbitrarily fixed now, will be more transparent and market-driven, as marginal cost of funds will be determined by the market.

RBI allows different rates for term deposits : The Reserve Bank of India has allowed banks to offer differential interest rates on term deposits depending on whether they are with or without premature withdrawal facility. In a circular to banks, the RBI has said that all term deposits of individuals (held singly or jointly) on Rs. 15 lakh and below should, necessarily, have premature withdrawal facility. For all term deposits above Rs. 15 lakh, banks can offer deposits without the option of premature withdrawal as well.

SEBI plans focus on disclosure regime : This year, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) is planning to revamp its disclosure requirements to apply a uniform standard to all companies, reduce the number of times certain disclosures are made, as well as introduce systems for 'automatically gathering and integrating' information from companies.

SEBI delaying IPO clearance : SEBI is reportedly takings as long as a year to approve initial public offerings, prompting criticism from firms. But companies say delays in the review of listing documents by the SEBI are complicating the listing process. SEBI's guideline is that they approve it within 30 days, after an in-principle nod from the stock exchanges.

NHAI 7,500 km road projects : The National Highways Authority of India (NHAI) is planning to award around 7,500 km of road projects in 2015-16 which would include around 6,000 Km under EPC (engineering, procurement and construction) and 1, 500 km under BOT (build own and transfer) modes . **(Details : Buiness India, 27 Apr. to 10 May 2015)**

विज्ञापन एजेंसियों से होगी 20 करोड़ रुपए की वसूली

बकायेदारों को भेजेंगे नोटिस : निगम प्रशासन ने बकायेदार विज्ञापन एजेंसियों की सूची तैयार कर ली है। उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर राशि जमा करनी है।

(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 30.4.2015)

विनम्र निवेदन

1. माननीय सदस्यों की सेवा में वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए सदस्यता शुल्क जमा करने हेतु चैम्बर कार्यालय द्वारा पत्र निर्गत किया जा चुका है। माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र सदस्यता शुल्क भेजने की कृपा करें।
2. कुछ सदस्यों के ई-मेल में परिवर्तन हो जाने से चैम्बर द्वारा भेजे जा रहे मेल लौट रहे हैं। अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने सही ई-मेल आईडी की जानकारी चैम्बर के ई-मेल (bccpatna@gmail.com) पर भेजने की कृपा करें। ताकि महत्वपूर्ण सूचनाओं से आप वंचित न रह जायें।

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296